FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम ....

नरेन्द्र कुमार .... बनाम चम्पालाल वगैरह

किस्म मुकदमा रा० आवेदन .... नं. 185/19 .... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/6/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिणछोड़राम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/7/19 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
18/07/19	प्रार्थी वकील व विप्रार्थी संख्या-1 स्वयं उपस्थित। शेष विप्रार्थीगणों की एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 12/08/19 को पेश हो। [signature]	चम्पालाल 18.7.2019
12/08/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय [illegible] अधि कारी [illegible] मिसल इलतवा होकर [illegible] 04/09/19 को पेश हो। [signature]	
04/09/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय [illegible] अधि कारी [illegible] मिसल इलतवा [illegible] 15/10/19 को पेश हो। [signature]	

15/10/19

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 10 की ओर से वकील श्री नरपत पुरोहित द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। शेष विप्रार्थीगणों के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भेजे गये तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। जिनकी ओर से कोई अधिवक्ता या स्वयं कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5:45 PM पर लगाई गई विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 व 11 से 13 कोई उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 व 11 से 13 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः पत्रावली विप्रार्थी संख्या 10 के जवाब हेतु दिनांक 06/11/19 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

06/11/19

प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 10 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 10 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते आवेदन 251ए RT Act खारिज किये जाने बाबत का प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 10 के अधिवक्ता द्वारा दस्तावेजों की छाया प्रमाणित प्रतिलिपी नक्शा मौजा नागोणी धतरवालों की ढाणी खेत खसरा नं. 1056/815, 816, 1012/764, 794 पेश किया गया तथा प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते मंगवाने मौका रिपोर्ट पेश किया गया जिसकी प्रति विप्रार्थी संख्या 10 के अधिवक्ता को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अतः प्रार्थना पत्रों के जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 27/11/19 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

27/11/19

[illegible]

04/12/19

2

तारीख पेशी 04/12/19

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/12/19	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-10 के वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र बाबत आवेदन 251ए RTAct खारीज किये जाने बाबत का जवाब पेश किया गया। जिसकी प्रति विप्रार्थी संख्या-10 के अधिवक्ता को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या-10 के अधिवक्ता द्वारा मौका रिपोर्ट के प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया आइन्दा पेश करना चाहते हैं। मजबूर किया जाकर पत्रावली दिनांक 04/02/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
4/2/2020	प्रार्थी अधिवक्ता श्री रिछपाल [illegible] हाजिर। विप्रार्थी क्र. 10 के अधिवक्ता श्री नरपत पूनड़ हाजिर हैं। विप्रार्थी क्र. 10 के अधि. का कथन है कि प्रार्थी के (मूल खसरा 815) मौजा पुराना ग्राम के निकटस्थ 25 मीटर चौड़ा रास्ता स्थित है। प्रार्थी के खातेदारी 1056/815 के निकटस्थ 25 मीटर चौड़ा है। 251क के प्रकाशित रास्तों की मौका जाँच के अभाव में रास्ता का अधिकार व सुखाधिकार का निश्चय नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि उक्त रास्ते के अभाव में आवागमन में असुविधा होने से अत्यधिक रूप रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है। प्रार्थी एवं विप्रार्थी क्र. 10 के अधिवक्तागण की बहस से संतुष्ट होने से नायब तहसीलदार बायतु को मौका कमिश्नर नियुक्त करते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि वह सभी रिकॉर्डेड व चालू रास्तों की ख.न. 1056/815 मौजा पुराना गांव (पत्रावली -2071-2074) एवं ग्राम [illegible] की चौड़ाई (साइज) की मौका रिपोर्ट उभय पक्षकारान की मौजूदगी	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	में तैयार कर पत्रावली तारीख पेशी 4/3/2020 को पुनः प्रस्तुत करें। [signature] सहायक कलेक्टर (SDO) [illegible]
4-3-2020	पत्रावली [illegible] बकुलाय पक्षकारान [illegible] अधि कारी दिगर [illegible] मिसल इल्तवा होकर दिनांक 20/4/2020 का पेश हों। [initials]
20/4/2020	प्रार्थी वाक़िला उप॰। विप्रार्थीगण सं.10 के वकील अनु. कोविड 19 के चलते कोर्ट काम बंद होने से व श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 28-7-2020 को पेश हो। [initials]
28/7/2020	पत्रावली आज पेश हुई। बकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 11-11-2020 का पेश हों। [initials]
11-11-2020	पत्रावली आज पेश हुई। बकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 4-1-2021 को पेश हों। [initials]

तारीख हुक्म

04/01/2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/01/2021	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 10 के वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मूल आवेदन व तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु, जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 185/2019

दिनांक :– 04/01/2021

प्रार्थी

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र धन्नाराम चौधरी
जाति जाट निवासी रामदेरिया तला, खड़ीन तहसील रामसर जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. चम्पालाल पुत्र जोगाराम
2. राकेश कुमार पुत्र जोगाराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता विप्रार्थी संख्या 3
3. पेम्पों पत्नी जोगाराम जाति दर्जी निवासी नया गांव, नगोणी धतरवालों की ढाणी
4. भंवरलाल पुत्र पदमाराम फौत के कायम मुकाम
   - 4/1. वीराराम पुत्र भंवरलाल
   - 4/2. जसराज पुत्र भंवरलाल
   - 4/3. बंशीलाल पुत्र भंवरलाल
   - 4/4. हवा पत्नी भंवरलाल
5. सांवताराम पुत्र पदमाराम
6. खमोणचन्द पुत्र पदमाराम
7. भाखराराम पुत्र कन्हैयालाल
8. हवी पत्नी कन्हैयालाल
9. मूलाराम पुत्र पदमाराम
10. उदयराज पुत्र पदमाराम
11. चन्दनमल पुत्र पदमाराम
12. मूमलदेवी पत्नी घेवरचन्द
13. सवाईलाल पुत्र घेवरचन्द नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता मूमलदेवी पत्नी घेवरचन्द विप्रार्थीनी संख्या 12 जाति दर्जी निवासी पुराना गांव नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर
14. तहसीलदार बायतु

~~सहायक कलक्टर~~
(SDO) बायतु

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 –क (1) रा.का.अधिनियम

Application for permission under sub-section (1) pf section 251-A of the Rajasthan tenancy Act, 1955

उपस्थिति :– 1. श्री रिणछाराम सियाग अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री नरपत पूनड़ अधिवक्ता विप्रार्थीगण सं. 10

आदेश

प्रार्थी ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1056/815 रकबा 06.00 बीघा ग्राम नया गांव पटवार मण्डल नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु से सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थीगण संख्या 1 से 13 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 816 रकबा 29.14 बीघा व खसरा नम्बर 1012/764 रकबा 07.16 बीघा में से होकर आवेदन के संलग्न परिशिष्ट अ में बरंग लाल से दर्शाये रास्ते अनुसार 20 फीट रास्ता स्थापित कर खुलवाने हेतु यह आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किया।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब आवेदन तलब किया। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 व 11 व 13 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकतरफका कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 10 की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा वकालातनामा व जवाब पेश किया गया।

प्रकरण में मौका रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार बायतु को लिखा गया। मौका रिपोर्ट तहसीलदार बायतु द्वारा तैयार की गई। तहसीलदार बायतु ने मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1056/815 में से होकर सड़क तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 816 रकबा 4.8055 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1012/764 रकबा 1.2620 हैक्टेयर में से रास्ता चाहा गया है, से रास्ता निकाला जाना उचित है। उक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक मार्ग वर्तमान में नहीं चल रहा है। सड़क से कम दूरी व मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शें में बरंग पीला से रास्ता प्रस्तावित किया गया है तथा प्रस्तावित रास्ते का रकबा खसरा नम्बर 816 में से 00.15 बीघा, खसरा नम्बर 1012/764 में से 00.02 बीघा है। जिसमें कोई भी निर्माण नहीं है।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

तहसील कार्यालय से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी वकील ने अपने आवेदन के तथ्य दोहराते हुए प्रकट किया कि प्रार्थी विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 816 व 1012/764 से मौका रिपोर्ट में बताये रास्ते अनुसार ही मुख्य मार्ग तक पहुंचने हेतु आता जाता रहा है। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के आवागमन हेतु अन्य कोई नजदीकी व वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अंत में निवेदन किया कि मौके पर मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता कायम किया जाये। विप्रार्थी संख्या 10 के वकील को सुना गया। जिसके कथानुसार विप्रार्थी अपने खसरा नम्बर 1012/764 में से रास्ता देने हेतु सहमत नहीं है। प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 816 में से रास्ता दिये जाने पर कटाण मार्ग से जुड़ जाते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण को रास्ते हेतु नियमानुसार मुआवजा राशि अदा करने हेतु सहमत है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना, उनके कथनो पर मनन किया व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। धारा 251 (क) (1) अनुसार जब कोई अभिधारी अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारो की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है और मामला खातेदारान् के मध्य पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो न्यायालय में इस हेतु आवेदन पेश होने पर यह साबित करना आवश्यक है कि प्रस्तावित रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

प्रार्थी के अनुसार जिस रास्ते को उसने प्रस्तावित किया है वह रास्ता मौके पर कदीम से विद्यमान है। प्रार्थी को इस रास्ते की अत्याधिक आवशकता स्पष्ट है क्योंकि इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जहां से होकर प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 1056/815 तक पहुंच सकें।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नया गांव पटवार मण्डल नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु के खसरा नम्बर 1056/815 तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 816 में से 00.15 बीघा का रास्ता मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शें में बरंग पीला से दर्शाये गये प्रस्तावित रास्ते के अनुसार कायम किया जाता है। जो कटाण रास्ते को जोड़ता है तथा खसरा नम्बर 1012/764 में रास्ता दिया जाना उचित नहीं है।

उक्त भूमि के खसरा नम्बर 816 का प्रतिकर डी.एल.सी. की दर प्रति बीघा से दुगना देय होगा। तहसीलदार बायतु प्रार्थी को रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 00.15 बीघा की राशि 102149/– तहसील कार्यालय में जमा कराने हेतु सूचित करें तथा प्रतिकर की राशि तहसील

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

...ालय में जमा होने पर इस आदेश का भू अभिलेख में अंकन करे तथा प्रतिकर Compensation राशि 102149/– नियमानुसार विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 04/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु